संख्या-02/2026/58A/001-002-82-3002-002-1-2026

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
राजनैतिक पेंशन विभाग।

सेवा में,

मंत्री,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्ययक को निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2026/ बी- 1-812/ दस- 2026-231/2026, दिनांक- 28-03-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विनियोग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में निम्न विवरण के अनुसार रू0 23,40,000/- (रुपये तेईस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों , नवीनतम शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004 मित0-1/2004, दिनांक 07 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009 मित0-1/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अत: यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथासंभव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

2. बजट में प्राप्त धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या बी0-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्यशयिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था की जायेगी तथा शासन को बराबर इससे अवगत कराया जायेगा। यदि किसी विनियोग को प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि की फेजिंग कर आहरण किया जाय, जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

7. प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से शासन को उपलब्ध करा दी जाय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. इस सम्बन्ध् में यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, स्वीकृत की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

9. इस सम्बन्ध में स्वीकृत धनराशि के आवंटन/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन करते हुए धनराशि का व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2026/ बी- 1-812/ दस- 2026-231/2026, दिनांक- 28-03-2026 में विहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 3,30,000 (रुपये तीन लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 028 **लेखा शीर्षक** 2251000920400 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 20,10,000 (रुपये बीस लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 028 **लेखा शीर्षक** 2251000920400 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
राजनैतिक पेंशन विभाग।

संख्या- 02/2026/58A/001-002-82-3002-002-1-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर(ऑडित/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, सत्य-निष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
राजनैतिक पेंशन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।